



Neutral Citation No. - 2026:AHC:37367-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 3284/2026

वीरेंद्र सिंह और एक अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : बीरेंद्र कुमार मिश्रा, व्यास कुमार प्रसाद

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ताओं की ओर से आज न्यायालय में दायर किया गया पूरक हलफनामा रिकॉर्ड पर ले लिया गया है।
2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
3. इस रिट याचिका में दिनांक 5.12.2025 की एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके आधार पर केस क्राइम नंबर 0738/2025, धारा 452, 323, 307 आई पी सी के तहत, पुलिस थाना-ताजगंज, जिला-नगर (कमिश्नरेट आगरा) में दर्ज किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से, प्रथम दृष्टया, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शिकायत किया गया कोई भी अपराध प्रकट नहीं होता है; और इसलिए, इस प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द किया जाना चाहिए।
5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने इस प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है और यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं ने, दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर, पीड़ित पर हमला किया था; जिसके परिणामस्वरूप, विजय सिंह नामक व्यक्ति को चोटें आईं। उनका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया है और डॉक्टर ने उनके शरीर पर कुल पाँच चोटों का उल्लेख किया है।
6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से, प्रथम दृष्टया, शिकायत किया गया अपराध याचिकाकर्ताओं के खिलाफ स्पष्ट रूप से प्रकट होता है; और इसलिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है। यह तर्क सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में दिया गया है, जैसा कि 'तेलांगना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्लाह जेलानी' (2017) 2 एससीसी 779 में रिपोर्टेड मामले में, 'नेहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य' (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 315 में रिपोर्टेड मामले में, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय - आपराधिक अपील संख्या 843/2024, 'प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी एवं अन्य' में प्रतिपादित किया गया है।
7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विरोधी दलीलों पर विचार करने के बाद, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ताओं ने दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर पीड़ित पर हमला किया था—जिसके परिणामस्वरूप विजय सिंह नामक व्यक्ति को चोटें आईं और उसकी मेडिकल जांच की गई, जिसमें डॉक्टर ने उसके शरीर पर पाँच चोटें दर्ज कीं—तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों, चोटों, विद्वान एजीए द्वारा उद्धृत प्रासंगिक कानून, और इस तथ्य

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



को देखते हुए कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट में एक संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, हमारी यह राय है कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता।

8. अतः, प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।
9. तथापि, यदि याचिकाकर्ता विचारण न्यायालय के समक्ष अग्रिम/नियमित जमानत के लिए आवेदन दायर करते हैं, तो उनके जमानत आवेदन पर कानून के अनुसार, यथाशीघ्र विचार किया जाए और उसका निपटारा किया जाए।
10. इन टिप्पणियों के साथ, यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

19 फरवरी, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”